कार्यवृत्त

आज दिनांक 23.07.2016 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में पावर ट्रान्समिशन लखनऊ के पत्र दिनांक 23.06.2016 में दिये गये प्रस्ताव ग्राम बसुरीगांव परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी स्थित भूमि गाटा संख्या 1008/3.693 हे0 जो जंगल खाते की भूमि है के ऊपर से वृक्षों को बिना काटे कन्डक्टर के स्टिंगिंग कार्य कराये जाने हेतु समाज कल्याण अनुभाग के शासनादेश संख्या 8.90/26.03.08.4(41)/2006 दिनांक 09.06.2008 के विहित व्यवस्थानुसार समिति के सम्बन्ध में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की गई।

बैठक में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत द्वारा अवगत कराया गया है कि उप खण्ड स्तरीय समिति की जाँच आख्या 20.07.2016 में यह उल्लेख है कि उक्त प्रस्तावित/प्रभावित भूमि वन अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/वनवासी के अधिकार में नहीं है। गाटा संख्या 1008/3.693 हे0 जंगल खाते की श्रेणी 5 (3) (क) (1) की भूमि है जो वन विभाग के प्रबन्ध में है और उक्त भूमि में अनुसूचित जनजाति /वनवासी श्रेणी का कोई व्यक्ति तथा जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का भी कोई व्यक्ति नहीं है। उपरोक्त शासनादेश में विहित व्यवस्था के अनुसार वन विभाग द्वारा इसी गाटे के शेष 0.581 हे0 की दो गुने अर्थात 1.162 हे0 भूमि पर वृक्षारोपण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है जिसका व्यय भार अधिशासी अभियन्ता,पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा वहन किया जायेगा। उपखण्ड स्तरीय समिति की जाँच आख्या के क्रम में अपरापति प्रमाण पत्र (Form-1) को निर्गत किये जाने की संस्तुति जिला स्तरीय कमेटी द्वारा की जाती है। तदनुसार कार्यवाही सम्पादित की जाय।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
बाराबंकी।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी,
वन प्रभाग,बाराबंकी

जिलाधिकारी
बाराबंकी।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, नवाबगंज बाराबंकी।

संख्या: B.2403 /एस0डी0-जाँच आख्या-2016

दिनांक: 21 जुलाई, 2016

अपर जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

महोदय,

मुझे अपने कार्यालय पत्र संख्या1143/एस0डी0-2 दिनांक 06 जुलाई, 2016 का संदर्भ ग्रहण करते हुए अवगत करने का कष्ट करें कि श्री बी0के0 त्रिपाठी अधिशासी अभियन्ता, पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड लखनऊ के पत्र संख्या 1010 दिनांकित 23.05.16 द्वारा ग्राम बसुरीगांव, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी स्थित भूमि गाटा संख्या 1008/3.693 हे0, जो जंगल खाते की भूमि है, पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कराया गया है, के ऊपर से वृक्षों को बिना काटे कन्डक्टर के स्ट्रिंगिंग कार्य कराये जाने हेतु इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है कि उक्त प्रस्तावित/प्रभावित भूमि वन अधिनियम-2006 के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/वनवासी के अधिकार में नहीं है।

उक्त के क्रम में वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं वन नियमावली-2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय, समाज कल्याण अनुभाग-3 की ओर से निर्गत संयुक्त शासनादेश संख्या 893/26.03.08-4(41)/2006 दिनांक 09-06-2008 में विहित व्यवस्थानुसार उप कार्यालय के पत्र संख्या डी0-582/एस0डी0-2016 दिनांक 12 जुलाई 2016 द्वारा तहसील नवाबगंज स्तर पर उपखण्ड स्तरीय समिति का गठन करते हुए उपखण्ड की स्थानीय जाँच करायी गयी। प्राप्त आख्यानुसार समिति की जाँच आख्या पूर्ण रूप से संलग्न कर आख्यापक कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

(नीलम)
उपजिलाधिकारी
नवाबगंज बाराबंकी।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, नवाबगंज बाराबंकी।

संख्या: B.2403 /एस0डी0-जाँच-2016

दिनांक: 21 जुलाई, 2016

उपखण्ड स्तरीय समिति की जाँच आख्या

श्री बी0के0 त्रिपाठी अधिशासी अभियन्ता, पावर ट्रांसमिशन लिमि0 लखनऊ के पत्र संख्या 1010 दिनांकित 23.05.16 द्वारा ग्राम बसुरीगांव, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी स्थित भूमि गाटा संख्या 1008/3.693 हे0, जो जंगल खाते की भूमि है, पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कराया गया है, के ऊपर से वृक्षों को बिना काटे कन्डक्टर के स्ट्रिंगिंग कार्य कराये जाने हेतु इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है कि उक्त प्रस्तावित/प्रभावित भूमि वन अधिनियम-2006 के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/वनवासी के अधिकार में नहीं है, के क्रम में अपर जिलाधिकारी, बाराबंकी के पत्र संख्या 1143/एस0डी0-2 दिनांक 06 जुलाई, 2016 में दिये निर्देश के अनुक्रम में वन अधिकार अधिनियम-2006 एवं वन नियमावली-2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय, समाज कल्याण अनुभाग-3 की ओर से निर्गत संयुक्त शासनादेश संख्या 893/26.03.08-4(41)/2006 दिनांक 09-06-2008 में विहित व्यवस्थानुसार उपखण्ड स्तरीय समिति का गठन करते हुए प्रकरण की स्थानीय जाँच की गयी। प्राप्त आख्यानुसार प्रकरण में संलग्नित भूमि ग्राम बसुरीगांव, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी स्थित गाटा संख्या 1008/3.693 हे0 जंगल खाते की श्रेणी 5(3)(क)(1) की भूमि है, वन विभाग के प्रबन्ध में है और उक्त भूमि में अनुसूचित जनजाति/वनवासी श्रेणी का कोई व्यक्ति नहीं है। गाटा संख्या 1008 के 0.581 हे0 भूमि के ऊपर से स्टाईन स्ट्रिंगिंग का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त शासनादेश में विहित व्यवस्थानुसार वन विभाग द्वारा इसी गाटे के शेष 0.581 हे0 के दो गुने अर्थात 1.162 हे0 भूमि पर वृक्षारोपण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, जिसका व्यय भार अधिशासी अभियन्ता, पावर ट्रांसमिशन लि0, लखनऊ द्वारा वहन किया जायेगा। उक्त का आख्या संलग्न कर आख्यापक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपखण्ड स्तरीय समिति की आख्या संस्तुति सहित आख्यापक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप जिलाधिकारी,
नवाबगंज-बाराबंकी।

Annexure - 25

FORM - 1

(For Linear Projects)

Government of U.P.

Office of the District Collector, Barabanki

No. 1168/A-J-NE

Dated: 26-07-2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No. 11-9/98-FC (pt.) Dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 (FRA', for short) on the Land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's Letter Dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that the 0.581 Hectare of Forest Land proposed to be diverted in favour of Electricity Transmission Division - II, U.P. Power Transmission Corporation, Lucknow (Name of user Agency) for Overhead Conductor Stringing of 220 K.V. Kursi Road - P.G.C.I.L., Lucknow Transmission Line (Purpose for diversion of Forest Land) in Barabanki district falls within jurisdiction of village Basuri Gaon in Fatehpur Tahsil.

It is Further Certified that

(i) The complete Process for identification and settlement for rights under the FRA has been carried out for the entire 0.581 Hectare of Forest Land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights (Committee (s) Gram Sabha (s) Sub-Division Level Committee (s) and district level committee are enclosed Annexure ..... to Annexure ..... *

(ii) The diversion of Forest Land for facilities managed by the Government as required under Section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given the consent to it.

(iii) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities.

(iv) As above.

Encl. : As above

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत बाराबंकी

Signature
(Name & Seal of the District Collector)